भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4451
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कारगिल में विमानपत्तन का निर्माण

4451. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नागरिक विमानपत्तन के निर्माण के लिए कारगिल में नए स्थानों पर सर्वेक्षण कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के अंतर्गत यदि वर्तमान में बड़े विमानों का संचालन संभव नहीं है तो छोटे 50-60 सीटर विमानों के संचालन के लिए कारगिल में एक नया नागरिक विमानपत्तन बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

जदा
(घ) क्या सरकार का मौजूदा कारगिल विमानपत्तन से 19 सीटर नागरिक उड़ान सेवाएं जल्द ही शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार रणनीतिक स्थान और उड़ान सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण स्थानीय लोगों के सामने आने वाली अत्यधकि चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइनों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) भारत सरकार (जीओआई) ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है, जिसमें देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित हैं। अनुमोदन हेतु दो चरण की प्रक्रिया है, अर्थात 'साइट-क्लीयरेंस' और उसके पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन। वर्तमान में कारगिल में सिविल हवाईअड्डा के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2021 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), भारतीय वायु सेना और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की एक बहु-विषयक टीम ने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में हवाईअड्डों के निर्माण के लिए वाखा, कारगिल, तुरतुक, डिस्किट, न्योमा और पदुम/ज़ांस्कर का इन स्थलों की व्यवहार्यता की जाँच करने हेतु दौरा किया था। इनमें से कोई भी स्थल हवाईअड्डे के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

(ख) और (ग) 'उड़ान' योजना में वैध बोली के माध्यम से चिह्नित असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों और उसके पश्चात चिह्नित किए गए हवाईअड्डों को जोड़ने वाले मार्गों को प्रचालित करने के लिए इन्हें चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) को अवार्ड करके उनके पुनरुद्धार/उन्नयन की परिकल्पना की गई है। प्रावधानों के अनुसार, नए हवाईअड्डों का विकास इसके दायरे में नहीं आता है।

(घ) से (च) बोली प्रक्रिया के दूसरे चरण के दौरान, 'उड़ान' के तहत विकास और आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए मौजूदा कारगिल हवाईअड्डे की पहचान की गई थी। तथापि, बोली प्रक्रिया के दूसरे और तीसरे चरण के दौरान कारगिल को श्रीनगर और जम्मू से जोड़ने वाले अवार्ड किए गए मार्गों को बाद में रद्द कर दिया गया था। रद्द किए गए मार्गों के लिए 'उड़ान' 4.2 बोली प्रक्रिया चरण के दौरान पुनः बोलियां आमंत्रित की गईं और इन्हें स्पाइसजेट को 133 सीटों की साप्ताहिक आवृत्ति के साथ 19-सीटर विमान परिचालित करने के लिए अवार्ड किया गया। तथापि, हवाईअड्डे के तैयार न होने के कारण इन मार्गों को पुनः रद्द कर दिया गया। चल रहे 'उड़ान' 5.4 चरण की बोली प्रक्रिया में, कारगिल को श्रीनगर और जम्मू से जोड़ने वाले रद्द किए गए मार्गों के लिए पुनः बोलियां आमंत्रित की गईं। तथापि, कोई वैध प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

'उड़ान' योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और रियायतों के माध्यम से भागीदार एयरलाइनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****